



2026:AHC:33340-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19729/2025

मोहम्मद सलीम

..... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मोहम्मद सरवर खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., कृष्ण देव राय

न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. आज दाखिल पूरक शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद सरवर खान और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण देव राय को सुना गया।
3. यह रिट याचिका दिनांक 14.08.2025 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद (अधिकरण) ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन (ओ.ए) संख्या 1048/2021 को खारिज कर दिया है। उक्त आवेदन में प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह याचिकाकर्ता के अंतिम आहरित वेतन को 9300-34800 रुपये के पे-बैंड और 4200 रुपये के ग्रेड-पे में वरिष्ठ तकनीशियन (पी.ई.डी.) के रूप में पदोन्नति के आधार पर पुनः निर्धारित करें।
4. याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार, उन्हें 19.08.1978 को इलेक्ट्रिक तकनीशियन के रूप में नियुक्त किया गया था और अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के बाद, वह 31.03.2013 को 5200-20200 रुपये के वेतनमान और 2800 रुपये के ग्रेड-पे में सेवानिवृत्त हुए। मूल आवेदन में यह दलील दी गई थी कि याचिकाकर्ता का नाम उच्च वेतनमान, अर्थात् 9300-34800 रुपये और 4200 रुपये के ग्रेड-पे के लिए वर्ष 2012 की पदोन्नति सूची में शामिल था, लेकिन अधिकारियों द्वारा उनकी पदोन्नति में विलंब किया गया और इसलिए उन्हें वेतन वृद्धि और पेंशन लाभ नहीं मिल सका। यह भी दलील दी गई कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद, विभाग द्वारा 21.06.2013 को एक अनंतिम पदोन्नति सूची तैयार की गई थी जिसमें उनका नाम उल्लेखित था, लेकिन सूची को लागू नहीं किया गया और जब याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो मूल आवेदन दाखिल किया गया।
5. प्रतिवादियों ने अधिकरण के समक्ष प्रति-शपथ पत्र दाखिल कर याचिकाकर्ता के दावे का विरोध किया और यह रुख अपनाया कि मूल आवेदन न केवल परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण बल्कि गुण-दोष के अभाव में भी खारिज होने योग्य है। कारण यह था कि याचिकाकर्ता पदोन्नति आदेश दिनांक 21.06.2013 जारी होने से पूर्व 31.03.2013 को सेवानिवृत्त हो चुके थे, अतः वे पदोन्नत होने के पात्र नहीं थे और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पदोन्नति पद से संबंधित कोई वित्तीय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लाभ नहीं दिया जा सकता था। आगे यह रुख था कि अन्य सभी पात्र कर्मचारियों को अंततः 29.06.2013 को पदोन्नत किया गया था और संबंधित सूची में आवेदक के नाम के सामने उनकी सेवानिवृत्ति के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया था। यह भी कहा गया कि सेवानिवृत्ति की तिथि से सात वर्ष बाद दाखिल मूल आवेदन अत्यधिक विलंबित था और केवल इसी आधार पर खारिज होने योग्य था।

6. अधिकरण ने पक्षों के मामले पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि 21.06.2013 को जारी अनंतिम पदोन्नति सूची में याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 5 पर उल्लेखित था, और उसके बाद 29.06.2013 को एक अंतिम पदोन्नति सूची जारी की गई जिसमें उनका नाम शामिल नहीं था क्योंकि वे 31.03.2013 को पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वॉटर सप्लाई एंड सीवरेंज बोर्ड एवं अन्य बनाम टी.टी. मुरली बाबू: **2014 (4) एस.सी.सी. 108** और पश्चिम बंगाल सरकार एवं अन्य बनाम डॉ. अमल सतपथी एवं अन्य: **2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3512**, पर भरोसा करते हुए अधिकरण ने मूल आवेदन को यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए खारिज कर दिया कि सेवानिवृत्ति के पश्चात पदोन्नति भूतलक्षी प्रभाव से तब तक प्रदान नहीं की जा सकती जब तक कि कोई स्पष्ट प्रशासनिक या कानूनी त्रुटि न हो जो निर्णायक रूप से कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण स्थापित करती हो।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता के सेवा कार्यकाल के दौरान उन्हें पदोन्नत न करने की प्रतिवादियों की कार्रवाई स्वतः ही अवैध और मनमानी थी, क्योंकि वर्ष 2012 में जारी पदोन्नति सूची में उनका नाम क्रम संख्या 5 पर था, लेकिन प्रतिवादियों ने जानबूझकर पदोन्नति की प्रक्रिया को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद ही अंतिम रूप दिया ताकि उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किया जा सके, इसलिए अधिकरण का मूल आवेदन को खारिज करना उचित नहीं था।

8. आगे यह निवेदन किया गया कि याचिकाकर्ता ने विभाग द्वारा वर्ष 2012 में तैयार पदोन्नति आदेश को मंगवाने की प्रार्थना के साथ अधिकरण के समक्ष एक पृथक आवेदन दिया था, तथापि, उक्त आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया और इससे उनके मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तर्क यह है कि यदि अधिकरण द्वारा उक्त आवेदन स्वीकार कर लिया गया होता, तो वर्ष 2012 में तैयार पदोन्नति सूची अधिकरण के रिकॉर्ड पर होती जिससे याचिकाकर्ता का यह मामला स्थापित हो जाता कि सेवा कार्यकाल के दौरान पदोन्नति न देना और निर्णय को लंबित रखकर सेवानिवृत्ति के बाद उसे अंतिम रूप देना प्रतिवादियों की ओर से एक दुर्भावनापूर्ण कृत्य था।

9. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वर्ष 2012 में कोई पदोन्नति सूची तैयार नहीं की गई थी और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद पहली बार केवल 21.06.2013 को एक अनंतिम पदोन्नति सूची तैयार की गई थी, जिस समय तक याचिकाकर्ता 31.03.2013 को पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे और उपयुक्त उम्मीदवारों को पदोन्नति देने वाला अंतिम कार्यालय आदेश 29.06.2013 को जारी किया गया था। तर्क यह है कि चूंकि याचिकाकर्ता के सेवा कार्यकाल के दौरान कोई पदोन्नति नहीं हुई थी, इसलिए वे अपनी संभावित पदोन्नति के आधार पर किसी राहत का दावा नहीं कर सकते, अतः अधिकरण द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. हमने प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

11. रिकॉर्ड से यह परिलक्षित होता है कि वरिष्ठ तकनीशियन (पी.ई.डी.) के पद के लिए एक अनंतिम चयन सूची 21.06.2013 को प्रकाशित की गई थी। उक्त सूची में याचिकाकर्ता सहित 10 व्यक्तियों के नाम शामिल थे, जिनका नाम क्रम संख्या 5 पर इस स्पष्ट संकेत के साथ अंकित था कि वे 31.03.2013 को सेवानिवृत्त हो चुके थे। एक अन्य समान स्थिति वाले व्यक्ति, अमानतुल्ला का नाम भी उक्त सूची में उनकी 30.04.2013 को हुई सेवानिवृत्ति के समान संकेत के साथ था। अनंतिम चयन सूची जारी होने के आठ(8) दिन बाद, 29.06.2013 को अंतिम पदोन्नति आदेश जारी किया गया जिसमें याचिकाकर्ता और अमानतुल्ला के नामों को छोड़कर 8 (आठ) व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया, जो क्रमशः मार्च और अप्रैल 2013 में सेवानिवृत्त हो चुके थे।

12. अधिकरण के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष भी याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वर्ष 2012 में भी एक अन्य सूची प्रकाशित हुई थी जिसमें उनका नाम क्रम संख्या 5 पर था। तथापि, न्यायालय द्वारा बार-बार पूछे जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके जो अधिकरण के रिकॉर्ड या इन रिट कार्यवाहियों का हिस्सा हो जिससे यह साबित हो सके कि वर्ष 2012 में भी कोई कागजित पदोन्नति सूची प्रकाशित हुई थी। वास्तव में, पूछे गए प्रश्न का उत्तर यह था कि चूंकि उक्त सूची को रिकॉर्ड पर लाना विभाग का काम है, इसलिए याचिकाकर्ता इसे प्रस्तुत नहीं कर सकता और इसलिए उसने अधिकरण के समक्ष वर्ष 2012 में जारी उक्त सूची को मंगवाने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया था, परंतु उसके आवेदन पर विचार न करना विवादित आदेश को अक्षम बनाता है। उन्होंने इस न्यायालय से भी वर्ष 2012 में प्रकाशित सूची को मंगवाने की प्रार्थना की।

13. हमें याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों में कोई दम नहीं दिखता, जिसका सीधा कारण यह है कि यह उनका अपना मामला था कि उनका नाम 2012 की पदोन्नति सूची में शामिल था। भले ही ऐसी कोई सूची वास्तव में अस्तित्व में आई हो, यह सिद्ध करना याचिकाकर्ता का दायित्व था। न तो अधिकरण और न ही यह न्यायालय इस बात की विस्तृत और अनिश्चित जांच कर सकता है कि वर्ष 2012 में ऐसी कोई पदोन्नति सूची प्रकाशित हुई थी या नहीं।

14. स्पष्ट रूप से, 21.06.2013 का आदेश रिकॉर्ड पर पहला दस्तावेज है जिसमें यह उल्लेख है कि पिछले तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर की गई उपयुक्तता जांच के परिणामस्वरूप, 5200-20200 रुपये के वेतन बैंड और 2800 रुपये के ग्रेड-पे में कार्यरत तकनीकी-1 (पी.ई.डी.) के कर्मचारियों को उपयुक्त पाया गया है और उन्हें 9300-34800 रुपये के वेतन बैंड और 4200 रुपये के ग्रेड-पे में वरिष्ठ तकनीशियन (पी.ई.डी.) के पद के लिए अनंतिम चयन सूची में रखा गया है। सारणीबद्ध चित्रण के बाद, यह भी संकेत दिया गया है कि चयन सूची में केवल स्थान पाना पदोन्नति की गारंटी नहीं है, जो चयन सूची पदोन्नति की अवधि के दौरान निरंतर संतोषजनक कार्य के अधीन है और विभागीय अनापत्ति के अधीन होगी।

15. स्वीकार्य रूप से, अंतिम पदोन्नति आदेश 29.06.2013 को जारी किया गया था और इसलिए, हमें यह मानने का कोई कारण नहीं दिखता कि 21.06.2013 की अनंतिम चयन सूची जारी होने से पूर्व वर्ष 2012 में कभी कोई अन्य सूची जारी की गई थी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



16. जहाँ तक याचिकाकर्ता द्वारा अधिकरण के समक्ष वर्ष 2012 में तैयार पदोन्नति आदेश/सूची मंगवाने के अनुरोध वाले आवेदन का प्रश्न है, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि क्या याचिकाकर्ता ने कभी अधिकरण के समक्ष उक्त आवेदन पर बल दिया था, और न ही अधिकरण की आदेश-पत्रिका संलग्न की गई है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि क्या उक्त आवेदन पर कोई पृथक आदेश पारित किया गया था। बल्कि, अधिकरण द्वारा 14.08.2025 को पारित अंतिम आदेश के अवलोकन से संकेत मिलता है कि मूल आवेदन में लंबित सभी विविध आवेदनों को भी मूल आवेदन को अंततः खारिज करते हुए निस्तारित कर दिया गया था।

17. किसी भी स्थिति में, चाहे आवेदन पर बल दिया गया हो या उसे अलग से निर्णीत किया गया हो, आवेदन आधारहीन पाया जाता है, क्योंकि यह सिद्ध करना याचिकाकर्ता का दायित्व था कि ऐसी कोई सूची प्रकाशित हुई थी। चूंकि प्रतिवादियों ने वर्ष 2012 में ऐसी किसी भी सूची के प्रकाशन से इनकार किया था, इसलिए मामला वहीं समाप्त हो जाता है और रिकॉर्ड या 2012 की कथित सूची को मंगवाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। यह सुस्थापित है कि किसी पक्ष को अपने मामले की मजबूती पर खड़ा होना पड़ता है और वह न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि वह किसी पक्ष द्वारा अभिवचनों या किसी आवेदन के माध्यम से दिए गए अस्पष्ट बयान को स्वीकार कर ले, जिससे न्यायालय को उस अस्पष्ट बयान की सत्यता का पता लगाने के लिए अनिश्चित जांच शुरू करनी पड़े।

18. हम रिकॉर्ड से यह भी पाते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा विभाग के समक्ष दिया गया पहला आवेदन 19.08.2014 का था, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि वर्ष 2012 में पदोन्नति की कुछ प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन उसका परिणाम याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद घोषित किया गया। उक्त आवेदन को रिट याचिका के संलग्नक-5 के रूप में संलग्न किया गया है और वह मूल आवेदन का संलग्नक 4 था। उसके साथ संलग्न पदोन्नति आदेश की प्रति, उसका परिणाम और सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र वही दस्तावेज थे जो 21.06.2013 और 29.06.2013 के दिनांक के थे, न कि 2012 का कोई अन्य दस्तावेज।

19. इसलिए, भले ही 19.08.2014 को याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए पहले आवेदन में निहित बयान को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार कर लिया जाए, पदोन्नति की प्रक्रिया, यदि वर्ष 2012 में शुरू भी की गई थी, याचिकाकर्ता के लिए किसी काम की नहीं होगी क्योंकि विभाग पदोन्नति के संबंध में कोई भी अभ्यास शुरू कर सकता है लेकिन पदोन्नति तभी प्रभावी होती है जब अंतिम पदोन्नति सूची जारी की जाती है। स्वीकार्य रूप से, न केवल अनंतिम पदोन्नति सूची बल्कि अंतिम पदोन्नति आदेश भी याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद जारी किए गए थे और इसलिए, याचिकाकर्ता का कोई मामला नहीं बनता है।

20. हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि अधिकरण ने मूल आवेदन को विलंब के कारण वर्जित पाकर सही किया है क्योंकि यह याचिकाकर्ता द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति के सात वर्ष बाद दाखिल किया गया था और मामले के गुण-दोष पर आधारित अधिकरण का निर्णय भी किसी अवैधता से ग्रस्त नहीं है। डॉ. अमल सतपथी (सुप्रा) के मामले में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि पदोन्नति पदोन्नति पद के कर्तव्यों को ग्रहण करने पर प्रभावी होती है न कि रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि या अनुशांसा की तिथि पर। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में भी मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के पदोन्नति पद से संबंधित वित्तीय लाभों को भूतलक्षी रूप से देने से इनकार

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कर दिया था क्योंकि संबंधित कर्मचारी पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व ही अधिवर्षित हो चुका था और उसने उस क्षमता में सेवा नहीं की थी।

21. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम अधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

22. रिट याचिका में कोई सार नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

13 फरवरी, 2026

ए.के.शुक्ला

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"